न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—02 / 2021 (2021 / 51) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—श्यामलाल पिता मूला गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—आसूराम पिता मूला गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—जयराम पिता मूला गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—शंकरलाल पिता भागीरथ गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—बरजी पत्नि भागीरथ गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—रमेशलाल माता काली नाबा जरिये पिता नारायण गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर
7—मिश्रीलाल माता काली नाबा जरिये पिता नारायण गुजर निवासी तख्तपुरा तहसील करेड़ा
8—सकरा पुत्री भागीरथ गुजर निवासी सगरेव हाल भोपाखेड़ा तहसील करेड़ा
9—बाली पुत्री भागीरथ गुजर निवासी सगरेव हाल अजीतपुरा तहसील करेड़ा
10—दाखु पुत्री भागीरथ गुजर निवासी सगरेव हाल सुरगटी तहसील रायपुर
11—लक्ष्मी पुत्री भागीरथ गुजर निवासी सगरेव हाल कलकीपुरा तहसील करेड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—सोसी पुत्री कंकु गूजर पत्नि लेहरू गुजर निवासी सगरेव हाल जगपुरा तहसील रायपुर
2—राजी पुत्री कंकु गूजर पत्नि अमरा गुजर निवासी सगरेव हाल भचेड़िया तहसील देवगढ
3—पारस पिता गोकल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नारायण पिता गोकल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—पन्नालाल पिता गोकल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—जम्मु पत्नि गोकल गुजर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—भंवरी पुत्री गोकल गुजर निवासी सगरेव हाल तख्तपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8—भागू पुत्री गोकल गुजर निवासी सगरेव हाल हीराजीकाबाड़िया तहसील करेड़ा
9—गणी पुत्री गोकल पत्नि लादु गुजर निवासी सगरेव हाल बरावलोकाखेड़ा तहसील करेड़ा
10—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—पवन पिता नाथूलाल चोरड़िया निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—मेवाराम पिता छोगा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. राजू नायक — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:30 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण [illegible] में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर की [illegible] आराजियात संख्या 1191 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1192 / [illegible] रकबा [illegible] प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2045 से 2948 [illegible] आराजियात के ख[illegible] जमनी बेवा सुरजमल गुजर, गोकल पिता हजारी गुजर के नाम अभिलिखित थी दोनो का 1/2, 1/2

हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड था। उसके बाद जमनी की मृत्यु हो जाने से विरासत से कंकु बेवा गंगाराम के नाम दर्ज हो गई व गोकल पिता हजारी के नाम पर दर्ज हुई। उक्त आरायिजात मे का गोकल का 1/2 हिस्सा पूर्व में चला आ रहा था गोकल ने अपना 1/2 हिस्सा मूला को विक्रय कर दिया जिसका विक्रय विलेख दिनांक 26.08.1989 को निष्पादित किया गया इस प्रकार वादग्रस्त आरायिजात में 1/2 हिस्से का खातेदार मूला बन गया व 1/4 हिस्से कंकु बेवा गंगाराम व 1/4 हिस्से का गोकल गुजर खातेदर बन गये। उक्त आरायिजात का अगला रोटेशन तैयार किया गया जिसमें राजस्व ऐजेन्सी द्वारा सेवन से आराजी संख्या 1191 व 1192/1क किता दो रकबा 21 बिस्वा 1/4 हिस्सा कंकु बेवा गंगाराम का, 1/4 हिस्सा गोकल पिता हजारी का, 1/2 हिस्सा मूला पिता माईगराम गुजर का दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही कर 1/4 हिस्से का खातेदार कंकु बेवा गंगाराम, 1/4 हिस्सा मूला पिता माईगराम व 1/2 हिस्सा में गोकल पिता हजारी का अंकन कर दिया। वर्तमान में मूला पिता माईग उक्त आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होकर कब्जा चला आ रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर धारा जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 में अकिंत हिस्से अनुसार दुरस्ती करायी जाने हेतु आदेश प्रदान कराया जावे। एवं उसी अनुसार नई रोटेशन में भी इसी अनुसार अकंन कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.02.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी कमांक 1 लगायत 2 की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है अधिवक्ता द्वारा मौखिक निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकार्ड अनुसार दुरस्ती करने में कोई आपत्ति नही की एवं विपक्षी संख्या 3 लगायत 9 द्वारा सहमति स्वरुप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्ट्री के आधार पर हिस्सा दुरस्त किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। तथा विपक्षी संख्या 10 फौरमल पक्षकार है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा विपक्षी संख्या 11 व 12 को रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार भूमि विक्रय करने से क्रेता को विपक्षी संख्या 11 व 12 के रूप में संयोजित किया गया।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा भी रेकार्ड अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर की साबिक आरायिजात 1191 रकबा 13 बिस्वा, 1192/1क रकबा 8 बिस्वा भूमि सवंत 2045 से 2048 में मूल खातेदार जमनी बेवा सुरजमल 1/2, गोकल पिता हजारी 1/2 के नाम दर्ज थी जरिये नामान्तकरण 1688 से जमनी के बजाय कंकु बेवा गंगा[illegible]कल पिता हजारी के नाम दर्ज हुई। नामान्तकरण संख्या 1749 से ज[illegible] के बजाय मूला पिता माईंग गुजर के नाम दर्ज हुई आगामी रोटेशन संवत 2049 से [illegible] में कंकु बेवा गंगाराम, मूला पिता माईंग 1/2, गोकल पिता हजारी 1/[illegible] गत रोटेशन 2045 से 2048 एवं उसमें अकिंत नामान्तकरण के अनुसार केता मूला का 1/2 हिस्सा एवं शेष जमनी बेवा सुरजमल का 1/4 व गोकल पिता हजारी का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो नही होकर मूला के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:30 IST
Reason: SelfAttested

वारीसान का 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं गोकल के वारीसान का 1/4 के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा जमनी बेवा सुरजमल का 1/4 हिस्सा दर्ज है। नवीन सेटेलमेन्ट होने से साबिक आराजी संख्या 1191 एवं 1192 के नवीन खसरा नम्बर 2272 व 2273 दर्ज हो गये जो प्रकरण में पक्षकारो के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थना पत्र व साबिक रेकार्ड अनुसार संशोधन किये जाने में किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही कर सहमति व्यक्त की गई है जिसके अनुसार प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा बनता है जो विपक्षी संख्या 11 व 12 को विक्रय करने से उक्त 1/4 हिस्सा विपक्षी संख्या 11 व 12 के नाम व विपक्षी संख्या 3 से 9 का 1/4 बनता है जो दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के नवीन आराजी संख्या 2272 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2273 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 है0 में प्रार्थीगण खातेदारान का 1/4 हिस्से के बजाय 1/2 हिस्सा, खातेदार कंकु पिता गंगाराम के वारीसान (सोसी व राजी) का 1/4 हिस्सा होने से उनके द्वारा उक्त हिस्सा विपक्षी संख्या 11 व 12 को विक्रय कर देने से विपक्षी संख्या 11 व 12 के नाम उक्त 1/4 हिस्सा, एवं गोकल के वारीसान विपक्षी संख्या 3 लगायत 9 का 1/2 के बजाय 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.06.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.13 16:50:30 IST
Reason: SelfAttested